

खबरों की दुनिया

एक नजर

शादी की 29वीं सालगिरह पर पं सुरेश मिश्रा को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

**जिसका न पूछे कोई हाल, वहाँ पहुँचे पं. सुरेश मिश्रा तत्काल**

सर्व ब्रह्मण्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राजस्थान रबी फुटबाल एसोसिएशन के चेयरमैन एवम् भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पीण्डत सुरेश मिश्रा एवम् नीलम मिश्रा को शादी की 29वीं सालगिरह की "दैनिक खबरों की दुनिया" परिवार की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे और जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहें।

- डॉ. एल. सी. भारतीय

आचार संहिता के दौरान 784 करोड़ रुपये की अवैध शराब, नकदी एवं अन्य वस्तुएं की जब्त

खबरों की दुनिया

जयपुर। लोकसभा आम चुनाव-2024 के क्रम में 16 मार्च से 20 अप्रैल के बीच राजस्थान में अलग-अलग निर्गामी एवं सतर्कता एजेंसियों ने 784 करोड़ रुपये मूल्य से अधिक की अवैध शराब, नशीली दवाएं, नकद राशि आदि जब्त की है। भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव को धन-बल, नशे तथा मुफ्त वस्तुओं के प्रलोभन के जरिए प्रभावित होने से रोकने के उद्देश्य के क्रम में अवैध वस्तुओं के परिवहन और भण्डारण पर यह धरपकड़ की जा रही है। इस अवधि में सर्वाधिक 37 करोड़ रुपये से अधिक की जब्त चुरू जिले में हुई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के बाद से 784.73 करोड़ रुपये मूल्य की अवैध नकद राशि, नशीली दवाएं (ड्रग्स), शराब, कीमती धातुएं तथा मुफ्त वितरण की जाने वाली वस्तुओं (फ्रीबीज) आदि की जब्त की गई है। इस अवधि में अलग-अलग एनफॉर्समेंट एजेंसियों ने 7 जिलों में 30 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुएं पकड़ें हैं।

अब तक सर्वाधिक जब्तियां चुरू जिले में हुई हैं, जिनमें 37.06 करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुएं शामिल हैं। प्रवीण गुप्ता के अनुसार, 16 मार्च से 20 अप्रैल तक पाली, झारपुर, दौसा, उदयपुर, झुंझर और



गंगानगर जिलों में विभिन्न स्थानों पर क्रमशः 36.48 करोड़ रुपये, 36.35 करोड़ रुपये, 34.03 करोड़ रुपये, 33.41 करोड़ रुपये, 30.17 करोड़ रुपये और 30.02 करोड़ रुपये मूल्य की अवैध वस्तुएं अथवा नकद राशि जब्त हुई हैं। इस क्रम में, भीलवाड़ा, बाड़मेर, जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, अलवर, बांसवाड़ा, नागौर, हनुमानगढ़, टोंक, प्रतापगढ़ और राजसमन्द जिलों में भी 20-20 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुएं जब्त की गई हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पकड़ी गई सामग्री में 38.23 करोड़ रुपये की अवैध नकद राशि के साथ ही 83.37 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की नशीली दवाएं, 37.73 करोड़ रुपये से अधिक कीमती की अवैध शराब शामिल है। साथ ही, लगभग 42.82 करोड़ रुपये मूल्य की सोना-चांदी आदि कीमती धातुएं, लगभग 582 करोड़ रुपये मूल्य की अन्य सामग्री तथा 74 लाख रुपये से अधिक कीमत की मुफ्त वितरण की वस्तुएं (फ्रीबीज) भी जब्त की गई हैं।

शासन सचिव पीएचईडी समित शर्मा ने प्रातः 4 बजे किया औचक निरीक्षण, अवैध बूस्टरों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश**पेयजल आपूर्ति के समय मुख्य अभियंता से लेकर कनिष्ठ अभियंता तक सभी अधिकारी फील्ड में नियमित रूप से दौरा करें और आमजन को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करें एवं जल समस्याओं का समाधान करें : डॉ. समित शर्मा**

खबरों की दुनिया

जयपुर। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा रविवार को प्रातः 3.30 बजे जयपुर शहर के परकोटा में दौरे पर निकले और 4 बजे से उन्होंने विभिन्न स्थानों का औचक निरीक्षण कर पेयजल आपूर्ति का जायजा लिया।

डॉ. शर्मा ने मौजूदा जल कनेक्शन में लीकेज की जांच कर उन्हें रिपेयर करने एवं जलापूर्ति की निरंतर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। निरीक्षण में उनके साथ मुख्य अभियंता (अर्बन) राकेश लुहाड़िया अतिरिक्त मुख्य अभियंता अमित शर्मा एवं अधीक्षण अभियंता अधिशासी अभियंता सहायक और कनिष्ठ अभियंताओं की पूरी टीम थी।

उन्होंने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के तत्काल बाद विभाग ने त्वरित कार्यवाही करते हुए अनेक स्थानों से बूस्टर जस कर लिए और लीकेज रिपेयर का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया। शासन सचिव पीएचईडी ने कहा कि मुख्य जल वितरण पाइपलाइन से निकलने वाले सर्विस कनेक्शंस का पेयजल आपूर्ति के समय फील्ड अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे लीकेज सहित अन्य समस्या का तत्काल समाधान किया जा सके।

शासन सचिव पीएचईडी ने कहा कि जलापूर्ति के समय अवैध रूप से बूस्टर का इस्तेमाल रोकने के लिए विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में अवैध बूस्टर लगे हुए पाए जाएं उन बूस्टर को जब्त किया जाए साथ ही पैनल्टी लगाते हुए संबंधित उपभोक्ता के



विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए। अगर उपभोक्ता फिर भी नहीं माने तो संबंधित उपभोक्ता के नल कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए।

शासन सचिव ने नाहरगढ़ रोड, गोविंद राव का रास्ता, बाबा हरिश्चंद्र मार्ग, मिश्रा राव जी का रास्ता का

निरीक्षण किया गया। सचिव द्वारा मिश्रा राव जी के रास्ता पर नगर निगम द्वारा सीवर कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन पर नाराजगी जाहिर करते हुए नगर निगम के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर संयुक्त निरीक्षण करने के निर्देश दिए। इस दौरान दिल्ली रोड पर 17.9



किलोमीटर पाइपलाइन एवं भूजल विभाग के कैम्पस में स्थित 1300 लाख लीटर क्षमता के जलाशय एवं पम्प हाऊस निर्माण का निरीक्षण किया। योजनागत कार्य पूर्ण कर 30 अप्रैल तक आम जन को पूर्ण रूप से लाभाहित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने परकोटा के विभिन्न क्षेत्रों में की जा रही पेयजल की आपूर्ति की समीक्षा की तथा परकोटा के सप्लाय को भूजल विभाग के कैम्पस के कार्य के उपरान्त री-सेट्टल करने के निर्देश दिए ताकि उपभोक्ताओं को सही समय पर उचित मात्रा में पेयजल उपलब्ध हो सके।

पेयजल वितरण समय के दौरान निरीक्षण करें

शासन सचिव ने कहा कि प्रदेश में पेयजल आपूर्ति के दौरान निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता द्वारा सप्ताह में एक बार, अधीक्षण अभियंता द्वारा सप्ताह में दो बार, अधिशासी अभियंता द्वारा सप्ताह में तीन बार, सहायक अभियंता द्वारा सप्ताह में चार बार और कनिष्ठ अभियंता द्वारा सप्ताह में 6 बार आवश्यक रूप से पेयजल सप्लाय के समय निरीक्षण किया जाए और मौके पर फ्रिडर, हेल्पर और वॉल मैन की सहायता से लीकेज को ठीक किया जाए, नियमित आपूर्ति गुणवत्ता एवं प्रेशर की जांच की जाए। साथ में अवैध कनेक्शन और बूस्टर के विरुद्ध भी सख्त

कार्रवाई की जाए जिससे कि टेल ऐंड पर पानी पहुँच सके।

निरीक्षण के दौरान इन बातों का रखें विशेष ध्यान

शासन सचिव ने बताया कि सभी जगह सही दबाव के साथ पानी पहुँच रहा है इसका ध्यान रखा जाए और गुणवत्ता के सैंपल लिए जाए। कहीं कोई पाइपलाइन से लीकेज हो रहा है तो तत्काल रिपेयर किया जाए। इसी तरह रिजिडुअल क्लोरीन टेस्ट सहित अवैध कनेक्शन एवं बूस्टर के खिलाफ सुधारात्मक कार्रवाई की जाए।

पेयजल के समय जो लीकेज नजर आए उन्हें रिपेयर किया जाए। जल वितरण एवं गुणवत्ता संबंधी समस्याओं का निराकरण कर उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की जाए।

खलोमीटर पाइपलाइन एवं भूजल विभाग के कैम्पस में स्थित 1300 लाख लीटर क्षमता के जलाशय एवं पम्प हाऊस निर्माण का निरीक्षण किया। योजनागत कार्य पूर्ण कर 30 अप्रैल तक आम जन को पूर्ण रूप से लाभाहित करने के निर्देश दिए।